

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा, विभाग

क्रमांक: प.5(9)प्रा.शि/2017

जयपुर, दिनांक: 17.7.2017

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।


विषय:- तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती, 2012 के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापकों के स्थाईकरण/वेतन एरियर एवं अन्य परिलाभों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती, 2012 के अन्तर्गत पूर्व में कार्यग्रहण कर चुके वे अध्यापक जो वर्तमान में पुनः संशोधित परिणामानुसार सेवा में बने रहेंगे, को दिनांक 31.03.2016 तक की अवधि की एरियर राशि दिये जाने की स्वीकृति एतद्वारा निम्नांकित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है :

1. एरियर राशि की गणना विभाग में पदस्थापित लेखा संवर्ग के वरिष्ठतम् अधिकारी से जांच कर भुगतान किया जाएगा, जिससे किसी भी अध्यापक को अधिक भुगतान न हो। एरियर की गणना नियमित वेतनमान/स्थाईकरण की तिथि से होगी।
2. एरियर राशि का भुगतान आई.एफ.एम.एस. के माध्यम से किया जावें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 101700843 दिनांक 12.07.2017 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर प्रदत्त की जाती है।

भवदीय,

(अनूप कुमार हुसैन)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग को उनके आई संख्या 101700843 दिनांक 12.07.2017 के संदर्भ में।
2. उपायुक्त (प्रशिक्षण), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज (पंराप्राशि) विभाग को उनके अशा पत्रांक एफ 915(238) पंराप्राशि/2015 पार्ट/61 दिनांक 02.02.2017 के संदर्भ में।
3. रक्षित पत्रावली।

॥
शासन उप सचिव